

संख्या Z-132025/15/2010-IR (PL)

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकित 31 जनवरी, 2014

सेवा में,

1. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीआईपीपी)
2. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
3. सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषधि विभाग)
4. सचिव, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
5. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष विभाग)
6. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
7. सचिव, कपड़ा मंत्रालय
8. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार
9. मुख्य सचिव, केरल राज्य सरकार
10. मुख्य सचिव, कर्नाटक राज्य सरकार
11. मुख्य सचिव, गुजरात राज्य सरकार
12. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सरकार
13. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार
14. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सरकार
15. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
16. नियोक्ता संगठन
17. श्रमिक संगठन

विषय: बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का गठन

महोदय/महोदया,

बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ करने का निर्णय लिया गया है:

अध्यक्ष: श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष: सचिव, (श्रम एवं रोजगार)

सरकारी प्रतिनिधित्व

(क) केन्द्रीय सरकार

- (i) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- (ii) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीआईपीपी)
- (iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

- (iv) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषधि विभाग)
- (v) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
- (vi) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष विभाग)
- (vii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- (viii) वस्त्र मंत्रालय

(ख) राज्य सरकारें

आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।

नियोक्ता प्रतिनिधित्व:

(i) अखिल भारतीय प्रबंधन संघ	01 सीट
(ii) भारतीय उद्योग महासंघ	01 सीट
(iii) फिक्की	01 सीट
(iv) एसोसिएटेड चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज	01 सीट
(v) लघु उद्योग भारती	01 सीट
(vi) भारतीय दवा निर्माता संघ	01 सीट
(vii) आयुर्वेद औषधि निर्माता संघ	01 सीट
(viii) फेडरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन	01 सीट

कुल

8 सीटें

श्रमिक प्रतिनिधित्व:

(i) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)	01 सीट
(ii) भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू)	01 सीट
(iii) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	01 सीट
(iv) हिंद मजदूर सभा	01 सीट
(v) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	01 सीट
(vi) भारतीय मजदूर संघ	01 सीट
(vii) फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएमआरएआई)	01 सीट
(viii) नेशनल फेडरेशन ऑफ सेल्स रिप्रजेंटेटिव्स यूनियन (एनएफएसआरयू)	01 सीट

कुल

08 सीटें

2. औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का कार्य सभी हितधारकों के बीच समस्याओं की एक बेहतर समझ लाने के लिए, उन समस्याओं का अध्ययन करना और उन पर चर्चा करना और ऐसी समस्याओं के समाधान में सलाह देना है, जो बिक्री संवर्द्धन कर्मचारियों के लिए विशेष हैं।

3. नियोक्ता संघों और श्रमिक यूनियनों को जल्द से जल्द, समिति को अपने प्रतिनिधियों के नाम सूचित करने का अनुरोध किया जाता है। नामांकित सदस्य बैठक में

भाग लेने के लिए अपने साथ सलाहकार ला सकते हैं। हालांकि सलाहकार को बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रालय द्वारा टीए / डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. सभी सदस्यों से कार्य-सूची की मर्दें/मुद्दे चर्चा के लिए, 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि मंत्रालय बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की पहली बैठक की कार्यसूची को अंतिम रूप देने में सक्षम हो जो, इसके बाद, माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

भवदीय,

(बाबू चेरियन)

उप सचिव (आईआर)

टेलीफैक्स: 23753079

जानकारी के लिए प्रतिलिपि:

1. एलईएम के लिए पीएस, एमओएस (एलएंडई) के लिए पीएस
2. सचिव (एलएंडई), एस और (एलएंडई), एस और एफए, संयुक्त सचिव (एपी), संयुक्त सचिव (एके), संयुक्त सचिव और डीजीएलडब्ल्यू, संयुक्त सचिव और डीजीईटी, एलईए के लिए पीएसओ
3. सीएलसी(सी)/महानिदेशक, ईएसआईसी/निदेशक, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़,
4. सभी नीति अनुभाग